न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2023/86

1. तीजा देवी पत्नी श्री सुजा उर्फ सूरजमल
2. रामलाल पुत्र श्री सुजा उर्फ सूरजमल
3. कैलाश पुत्र श्री सुजा उर्फ सूरजमल
4. कालू पुत्र श्री सुजा उर्फ सूरजमल
5. नानू पुत्र श्री सुजा उर्फ सूरजमल
6. मनभरी देवी पुत्री श्री सुजा उर्फ सूरजमल
7. नैच्छी देवी पुत्री श्री सुजा उर्फ सूरजमल
8. फूली देवी पुत्री श्री सुजा उर्फ सूरजमल
9. काली देवी पत्नी श्री बाबू लाल
10. गौतम पुत्र श्री बाबू लाल
11. उमेश पुत्र श्री बाबू लाल
12. लाडा देवी पत्नी भगवान सहाय
13. प्रभूनारायण पुत्र भगवान सहाय
14. हनुमान सहाय पुत्र भगवान सहाय
15. मोहन लाल पुत्र भगवान सहाय
16. लाली देवी पुत्री भगवान सहाय

समस्त जाति कुम्हार, निवासीयान लबाना, तहसील आमेर जिला जयपुर ।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण, कार्यालय इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर ।

जरिपे आयुक्त

–रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध आज्ञा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर दिनांक 23.01.2023 जिसके तहत नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 13.10.1998 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम को खारिज कर दिया

उपस्थित–

1. श्री के.आर.शर्मा वकील अपीलान्ट

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–27.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर दिनांक 23.01.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम लबाना, तहसील आमेर, जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 26 हाल खसरा नं. 396 रकबा 5 बीघा 10 बीस्वा भूमि के तहसीलदार आमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 13.10.1998 स्वीकार कर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर के समक्ष पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2023 को मियाद अधिनियम की धारा–5 खारिज करते हुये अपील खारिज किये जाने के आदेश दिये गये।

3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर दिनांक 23.01.2023 से व्यथित होकर अपीलान्टस द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर दिनांक 23.01.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट योग्य अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट के पूर्व स्व. श्री महादेव पुत्र दुला के नाम राजस्व ग्राम लबाना, तहसील आमेर, जयपुर में अलॉटमेंट कमेटी द्वारा दिनांक 22. 06.1969 को खसरा नंबर 26 जिसके हाल खसरा नंबर 396 में रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गयी थी जिसका कब्जा भी अपीलांटस के पूर्वज महादेव पुत्र दुला को सुपुर्द कर दिया था। तत्पश्चात दिनांक 16.03.1975 को नामान्तकरण संख्या 201 के द्वारा अपीलांट्स के पूर्वज महादेव पुत्र दुला के नाम उक्त आवंटित भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। जिसके पश्चात राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 15.11.1976 को अपीलांट्स के पूर्वज महादेव पुत्र दुला के नाम नामान्तकरण संख्या 311 के द्वारा खातेदारी घोषित कर दी गई तदोपरान्त से ही अपीलांट के पूर्वज उक्त आराजीयात पर कृषि कार्य कर अपनी जीविकोपार्जन करते रहे। स्व. महादेव पुत्र दुला का देहावसान हो जाने के बाद फौती का नामान्तकरण उनके वारिसान सूजा उर्फ सूरजमल, भगवान सहाय के नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 413 दिनांक 20.11.1978 को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। सुजा उर्फ सूरज मल, भगवान सहाय का भी देहावसान हो चुका है तथा उनके वारिसान उक्त आराजीयांत पर काबिज काश्त होकर मौके पर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते आ रहे है। उक्त भूमि अपीलांट के पूर्वजों के नाम से वर्ष 1966 से 1997 तक चौशाला जमाबंदी में काश्तकार का नाम खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है। इसके अलावा सम्वत 2039 से 2040 तक चौशाला जमाबंदी सम्वत 2053 तक प्रभावी रही है तथा काश्तकार का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है। माह फरवरी 2020 में जब अपीलांट अपनी उक्त आराजी कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहे थे तो रेस्पोडेंट संख्या 2 के कर्मचारी व अधिकारी मौके पर आये तथा अपीलांट को कृषि कार्य करने से मना किया तथा उक्त आराजीयात अपने नाम से होना बताया । अपीलांट्स एक ही परिवार के

सभागीय आयुक्त
जयपुर

अनपढ ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जो अनपढ होने के कारण उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही का ज्ञान नहीं हो सका। नामान्तकरण की नकल दिनांक 25.02.2020 को प्राप्त की गयी है, जिसकी अपील कानूनन 30 दिवस की समयावधि दिनांक 27.03.2020 तक प्रस्तुत की जानी थी। उपरोक्त वर्णित तथ्यों की ओर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान ना देकर अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का खारिज फरमाते हुये अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाने में भारी कानूनी भूल की है। आवंटित भूमि पर अपीलांट्स के पूर्वजों को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद उनके विरूद्व राज. भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है, इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुये रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम नामान्तकरण तस्दीक कर दिया, जो विधि विधान के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर दिनांकः 23.01.2023 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 13.10.1998 निरस्त किया जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद विरासत के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 13.10.1998 को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर द्वारा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में कोई ठोस विधिक दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं करने की दशा में अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की गई। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 22 वर्षों बाद अपील पेश की गई थी एवं विलम्ब के कारणों की पुष्टि हेतु कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर के निर्णय दिनांक 23.01.2023 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते। अतः अपील इसी स्तर पर ही खारिज किया जाना उचित है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर के निर्णय दिनांक 23.01.2023 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।